न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 1357 / 2021
दायर दिनांक :– 17.12.2021

अनवान

1. अशोक कुमार पिता गोकलचन्द ब्राहमण नि. पटेल नगर देवली
2. राजकुमार पिता गोकलचन्द ब्राहमण नि. जनता कोलोनी देवली

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नि स्व. नाथूलाल ब्राहमण नि. देवली गांव तह. देवली
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 1

:: आदेश :: दिनांक 17.05.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुचलवाडां कलां पटवार हल्का ऊंचा भू. अ. नि. क्षेत्र अमरवारसी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज की कृषि आराजी नम्बर 47 रकबा 1.5540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 48 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गेमु. ढुमण, आराजी नम्बर 49 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गेमु. चाह कुल कीता 3 कुलिया रकबा 1.5783 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते मे दर्ज होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 पेश है। ग्राम कुचलवाडां कलां पटवार हल्का ऊंचा भू. अ. नि. क्षेत्र अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज की कृषि आराजी नम्बर 61 रकवा 3.04 बीघा (0.5180 हैक्टेयर) अप्रार्थी संख्या 1 के खाते मे दर्ज है। एवं आराजी नम्बर 59 रकबा 0.5504 हैक्टेयर गेमु. रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 पेश है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि मे ग्राम देवली गांव से कुचलवाड़ा कलां जाने वाले कच्चे रास्ता (आराजी खसरा संख्या 59 गेमु. रास्ता) से होकर आराजी नम्बर 61 की पश्चिमी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता जो 30 फीट चौडा रास्ता है से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 47 मे आते जाते है व ट्रेक्टर, कृषि उपकरण वगेरा ले जाकर काश्त करते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। परन्तु आराजी खसरा संख्या 61 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने नजरी नक्शा ट्रेस मे ए से बी रास्ता को अवरुद्ध कर बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि जमीन मे आ जा नही पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को वर्षो पूर्व चले आ रहे कदमी रास्ता को बन्द करने से मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। प्रार्थीगण देवली गांव से कुचलवाडा कलां के कच्चा रास्ता (आराजी खसरा संख्या 59 गेमु. रास्ता) से होते हुये आराजी नम्बर 61 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जो नजरी नक्शा मे ए से बी भाग 30 फीट चौडा रास्ता दर्शा रखा है को नक्शा ट्रेस मे तरमीम करवा रास्ता खुलासा करवाना चाहते है तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिये प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

वर्णित कृषि आराजीयात मे जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी भाग 30 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट मे तरमीम करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा, रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय सगंत है। नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। इस रास्ता मे निकलने से अप्रार्थीगण बाधा न डाले, न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारो से रूकवाकर पैदा करे से पाबंद्ध किया जावे। प्रार्थीगण रास्ता मे उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिफल राशि देने को तैयार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने माह नवम्बर 2021 मे कदगी समय से चले आ रहे रास्ता को अवरुद्ध करने से वाद हेतुक माह नवम्बर 2021 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 47 मे आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु ग्राम देवली गांव से कुचलवाडा कलां के कच्चा रास्ता (आराजी खसरा संख्या 59 गेमु. रास्ता) से होते हुये आराजी नम्बर 61 की पश्चिमी मेड के सहारे राहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जो नजरी नक्शा मे ए से बी भू भाग 30 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता दर्ज कर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म तहसीलदार जहाजपुर को प्रदान करावे व रास्ता की भूमि का प्रतिफल प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर है एंव उक्त 30 फीट चौडा रास्ता राजस्व जमाबंदी व राजस्व लटठा सीट मे तरमीम कर रास्ता को खुलासा करने आदेश तहसीलदार साहब, जहाजपुर को प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की और से श्री महावीर सनाढय एडवाकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थीगणों के खसरा संख्या 47,48, 49 में जाने–आने के लिए प्रार्थीगण अभी वर्तमान में खसरा संख्या 60 में से निरन्तर वर्षो से आ जा रहें है। लेकिन प्रार्थीगणों ने खसरा संख्या 60 के खातेदारों को प्रार्थना पत्र में जान बुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपनी मनचाही मौका स्थल की रिपोर्ट बनवा ली है। मौका रिपोर्ट भी गलत तथ्यों पर बनवाई गई है। खसरा संख्या 60 में वर्तमान में रास्ता खुला हुआ है, प्रार्थीया विधवा एवं गरीब महिला है जिसके कोई पुत्र–पुत्री नहीं है। केवल जीवन यापन करने का एक मात्र यह ही कृषि भूमि है। प्रार्थीया ने कभी भी किसी पक्षकार से झगड़ा नहीं किया और न ही प्रार्थीगणों का रास्ता बन्द किया है। प्रार्थीगण जो सरकारी नौकरी करते एवं अपने रूपयों एवं अपनी पहुंच के बल नया रास्ता निकालना चाहते है, जबकि खसरा संख्या 60 की मेड़ से वर्षो से प्रार्थीगण आ जा रहें है। चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 47, 48, 49 में जाने – अपने ट्रेक्टर कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण खसरा संख्या 60 की मेड़ से रास्ता है, प्रार्थीगण वर्तमान में भी इसी खसरा संख्या से आ जा रहें है, प्रार्थीगण खसरा संख्या 62/2, 63/1 से भी रास्ता ले सकते है, लेकिन प्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थना पत्र उनको पक्षकार नहीं बनाया केवल अप्रार्थी संख्या एक को नुकशान पहुंचाने, दवाव बनाने के लिए ही केवल मात्र यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो खारिज होने योग्य है। खसरा संख्या 47, 48, 49 में जाने–आने के लिए पूर्व में रास्ता खुला है फिर भी मान्य न्यायालय से निवेदन है कि फिर भी न्यायालय उचित समझता है, तो आधा रास्ता खसरा संख्या 60 में दिया जा कर या खसरा संख्या 62/2, 63/1 में से की मेड़ से एवं आधा रास्ता प्रार्थीया (जवाबदार) की कृषि भूमि में से दिया जाना उचित होगा प्रार्थीया को उचित न्याय मिलेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र मे हर्जे खर्चे के खारिज कराना फरमावे।

प्रार्थीगण की आराजी न. 47, 48, 49 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 22.12.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 61 में से 0.0295 है. भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirmay//rider

Scanned with CamScanner

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण की जोत आ.न. 47, 48, 49 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नम्बर 61 की पश्चिमी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 30 फीट चौडा रास्ता है से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 47 मे आते जाते है व ट्रेक्टर, कृषि उपकरण वगेरा ले जाकर काश्त करते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। परन्तु आराजी खसरा संख्या 61 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता को अवरुद्ध कर बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि जमीन मे आ जा नही पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को वर्षो पूर्व चले आ रहे कदमी रास्ता को बन्द करने से मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। पूर्व में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि तक आने–जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बन्द कर दिया था। वर्णित भूमि रो रास्ते के रूप मे कम की जाने वाली व रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि के लिये खातेदार अप्रार्थीगण को उक्त भूमि की कीमत अथवा जमीन के बदले जमीन जो भी न्यायालय उचित समझे, प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के मात्र सुविधा जनक उपयोग के लिये नहीं होकर प्रार्थीगण, को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि तक आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बताया कि प्रार्थीगणों के खसरा संख्या 47,48, 49 में जाने–आने के लिए प्रार्थीगण अभी वर्तमान में खसरा संख्या 60 में से निरन्तर वर्षो से आ जा रहें है। लेकिन प्रार्थीगणों ने खसरा संख्या 60 के खातेदारों को प्रार्थना पत्र में जान बुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपनी मनचाही मौका स्थल की रिपोर्ट बनवा ली है। मौका रिपोर्ट भी गलत तथ्यों पर बनवाई गई है। खसरा संख्या 60 में वर्तमान में रास्ता खुला हुआ है, प्रार्थीया ने कभी भी किसी पक्षकार से झगड़ा नहीं किया और न ही प्रार्थीगणों का रास्ता बन्द किया है। प्रार्थीगण जो सरकारी नौकरी करते एवं अपने रूपयों एवं अपनी पहुंच के बल नया रास्ता निकालना चाहते है, जबकि खसरा संख्या 60 की मेड़ से वर्षो से प्रार्थीगण आ जा रहें है। चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 47, 48, 49 में जाने – अपने ट्रेक्टर कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण खसरा संख्या 60 की मेड़ से रास्ता है, प्रार्थीगण वर्तमान में भी इसी खसरा संख्या से आ जा रहें है, प्रार्थीगण मनमर्जी से उक्त नया रास्ता निकालने पर आमादा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र मे हर्जे खर्चे के खारिज कराना फरमावे।

वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 47, 48, 49 में आने जाने हेतु ख. न. 61 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 47, 48, 49 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थीगण की आ.न. 47, 48, 49 में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 के आराजी सं. 61 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 47, 48, 49 तक पहुॅचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम कुचलवाडां कलां पटवार हल्का ऊंचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 47, 48, 49 में आने जाने के लिये आ. न. 61 से रास्ता दिया जाने का

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 61 में से रास्ता देने पर रकबा 0.0295 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 61 में अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0295 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 311820 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 (आ. न. 61 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक/रीडर/23/मु.न. 1357/2021 दिनांक 17.05.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 1357/21 अनवान अशोक कुमार पिता गोकलचन्द ब्राहमण, राजकुमार पिता गोकलचन्द ब्राहमण नि. जनला कालोनी देवली बनाम बसन्ती देवी पत्नि नाथुलाल ब्राहमण नि. देवली गांव में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम ग्राम कुचलवाडां कलां पटवार हल्का ऊंचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 47, 48, 49 में आने जाने के लिये आ. न. 61 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 61 में से रास्ता देने पर रकबा 0.0295 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 61 में अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0295 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 311820 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 (आ. न. 61 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाड़ा)

Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner